कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

विद्या–परिषद् की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक–23.12.2022

विद्या–परिषद् की 20वी बैठक दिनांक 23.12.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहें :–

1.	प्रो0 नीलिमा सिंह माननीया कुलपति कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2.	डॉ0 रघुराज सिंह परिहार नामित सदस्य, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर	सदस्य
3.	श्री मोहम्मद अनीस राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, शिक्षाविद्	सदस्य
4.	डॉ0 रोशन भारती राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, शिक्षाविद	सदस्य
5.	डॉ0 गोपाल सिंह राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, शिक्षाविद्	सदस्य
6.	प्रो0 रीना दाधीच अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य	सदस्य
7.	डॉ0 कल्पना वोहरा अधिष्ठाता, कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा	सदस्य
8.	डॉ0 अनिता सुखवाल अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय सह–आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	सदस्य

9. डॉ0 चन्द्रजीत सिंह — सदस्य
अधिष्ठाता, विधि संकाय
प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा

10. डॉ0 के.के. शर्मा — सदस्य
अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
प्राचार्य, भगवती टी.टी. कॉलेज, गंगापुरसिटी

11. डॉ0 नीलू चौहान — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम नामित सदस्य

12. डॉ. संजय भार्गव — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, भौतिक विज्ञान

13. डॉ. अनिता तम्बोली — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, समाज शास्त्र

14. डॉ. नादीरा खातून — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, उर्दू

15. डॉ0 सूर्य प्रकाश नापित — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, हिन्दी

16. डॉ0 शालिनी भारती — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, आरेखन एवं रंगांकन

17. डॉ0 रेणू शर्मा — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, भूगोल

18. श्री ए.ए. हनफी — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, इतिहास

19. श्रीमती मीरा गुप्ता — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, अर्थशास्त्र

20. डॉ0 फूल सिंह गुर्जर — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, राजनीतिक विज्ञान

21. डॉ0 दीपा स्वामी — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, गृह–विज्ञान

22. डॉ0 अनिल कुमार पारीक — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, लोक प्रशासन

23. डॉ0 अरूण कुमार — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, गणित

24. डॉ0 फातिमा सुल्ताना — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, प्राणी शास्त्र

25. डॉ0 मनीषा शर्मा — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, व्यावसायिक प्रशासन

26. डॉ0 अशोक कुमार गुप्ता — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, ए.बी.एस.टी.

27. डॉ0 सुषमा सिंह — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, शिक्षा

28. डॉ0 महेन्द्र सिंह मीणा — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, विधि

29. डॉ. आर.के. उपाध्याय — सदस्य सचिव
कुलसचिव

आयुक्त, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा; डॉ0 नरेन्द्र नाथ, कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य; डॉ. विनीता शुक्ला, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, अंग्रेजी; डॉ0 हासो ददलानी, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, सिंधी; डॉ0 अंजू कपूर, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, वनस्पति शास्त्र; डॉ. रामकेश मीणा, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, संस्कृत; डॉ. इरफान अहमद, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, दर्शन शास्त्र एवं डॉ0 दीपक कुमार, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, ई.ए.एफ.एम. बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव द्वारा माननीय कुलपति महोदय एवं उपस्थित माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया।

इसके पश्चात् विद्या–परिषद् की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर विस्तृत बिन्दुवार चर्चा विधिवत रूप से प्रारम्भ हुई :–

मद संख्या– 1	:	**विद्या–परिषद् की 19वीं बैठक दिनांक 21.12.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विद्या–परिषद् की 19वीं बैठक दिनाँक 21.12.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या– 2	:	**विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 21.12.2021 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 21.12.2021 की क्रियान्विति रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 3	:	**माननीय कुलपति महोदय के निम्न आदेशों को रिपोर्ट करना।** 1. **वर्ष 2022 में लिये गये विभिन्न BOS / COC के पुनर्गठन संबंधी आदेश।** 2. **विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा आयोजित बैठकों के कार्यवृत्तों का माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन संबंधी आदेश।** 3. **सामाजिक विज्ञान, कला व लाइफ साइंस संकाय के अधिष्ठाता की नियुक्ति संबंधी आदेशों का अनुमोदन**
निर्णय	:	1. वर्ष 2022 में लिये गये विभिन्न BOS / COC के पुनर्गठन संबंधी माननीय कुलपति महोदय के आदेशो की पुष्टि की गई। 2. विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा आयोजित बैठकों के कार्यवृत्तों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिस भी पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित करने के प्रस्ताव दिए हैं, के अतिरिक्त शेष कार्यवाही विवरण अनुमोदित किए गए। पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण को संबंधित विषय के संकाय के अधिष्ठाता द्वारा अनुमोदित करने पर डॉ. गोपाल सिंह, माननीय सदस्य द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि माननीय कुलपति को अनुमोदन हेतु अग्रेषित (Forwarded for approval) किया जाना उचित होगा, जिसका सभी ने समर्थन किया। स्नातकोत्तर स्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में CBCS लागू करने की प्रक्रिया के तहत् नियमित विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार तैयार समस्त पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया। स्वयंपाठी विद्यार्थियों पर पूर्व के अनुसार परीक्षा की वार्षिक पद्धति लागू होगी तथा पूर्व में अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार ही अध्ययन–अध्यापन कार्य होगा।

		3. सामाजिक विज्ञान, कला व लाइफ साइंस संकाय के अधिष्ठाता की नियुक्ति संबंधी माननीय कुलपति के आदेशों को पारित किया गया। सदन द्वारा Computer Science विषय को विज्ञान संकाय से पृथक कर एक स्वतंत्र संकाय खोलने का प्रस्ताव रखा गया। उक्त के संबंध में Faculty of Computational Science/Computer Science जो भी विधि सम्मत हो खोलने की बात कही गई। इस पर सदन के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया कि यदि राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में समान faculty हो तो यहां भी रखा जा सकता है।
मद संख्या 4	:	**शोध मण्डल की बैठक दिनांक 18.04.2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	शोध मण्डल की बैठक दिनांक 18.04.2022 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 5	:	**परीक्षा वर्ष 2020 की समस्त उपाधियों (कुल उपाधियाँ–72347) का "ग्रेस पास" किये जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	परीक्षा वर्ष 2020 की समस्त उपाधियों (कुल उपाधियाँ–72347) के "ग्रेस पास" किये जाने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 6	:	**विश्वविद्यालय के आदेश क्र0 5030–40 दिनांक 21.06.2022 द्वारा गठित बाह्य उड़न दस्ता समिति की निम्न अनुशंषा विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :–** **(i) उड़न दस्ते के कार्य के मानदेय को रू. 150/– प्रति पारी से बढ़ाकर रूपये 300/– प्रति पारी किया जाना।** **(ii) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित परीक्षा केन्द्रों की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में अथवा संवेदनशीलता की स्थिति में परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करवाने के लिए बाह्रय पर्यवेक्षक (External Oberserver) लगाये जाने की अनुशंषा की गई। बाह्रय पर्यवेक्षक को विश्वविद्यालय के नियमानुसार डी.ए., कार/टेक्सी से यात्रा करने तथा रूपये 1000/– प्रतिदिन मानदेय दिये जाने की भी अनुशंषा की गई।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय की बाह्य उड़न दस्ता समिति की अनुशंषाओं को परीक्षा संबंधी मानदेय वृद्धि के प्रस्तावों के साथ अगली विद्या परिषद की बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने की अनुशंषा की गई। उड़न दस्ता समिति की बैठक दिनांक 05.07.2022 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु

		सं. 4 जिसमे प्रत्येक जिला स्तर पर प्राचार्य को बाह्य उड़न दस्ता समिति के नोडल अधिकारी बनाए जाने संबंधी अनुशंषाएं की गई है, पर सदन द्वारा जिला स्तर पर महाविद्यालय के प्राचार्य को नोडल अधिकारी बनाए जाने की अनुशंषा की गई।
मद संख्या 7	:	**विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निम्न नवीन पाठ्यक्रमों को सत्र 2022–23 से प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रस्तावों में निर्णय लेना।** (i) **पांच वर्षीय** Integrated Course Bachelor in Tourism & Travel Management & Master in Tourism & Travel Management (BTTM-MTTM) (ii) Master in Tourism & Travel Management (MTTM) (iii) 3 months certificate program in- (a) Event Management (b) Communication & Staff skills (c) Front officer operations (d) Tourism & Travel Management (e) Tourism Marketing **उक्त प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम** COC-BTTM & MTTM **द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए है।**
निर्णय	:	BTTM & MTTM (Tourism Management) की पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2022 में प्रस्तावित Certificate courses तथा इस मद के माध्यम से प्रस्तावित Certificate courses को माननीय सदस्यों ने सीटों की संख्या, छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क, पाठ्यक्रम आदि के विस्तृत विवरण के साथ उक्त प्रस्तावों को अगली बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने की अनुशंषा की गई। BTTM & MTTM (Tourism Management) की पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2022 के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित 'External Expert' के स्थान पर 'External Member' का उल्लेख किए जाने की अनुशंषा की गई। साथ ही उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण में बाह्य सदस्यों के व्यक्तिगत सुझावों के स्थान पर स्पष्ट अनुशंषाऐं प्राप्त की जावें। दोनों प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के Nomenclature को UGC व RPSC की मान्यता के अनुसार आंकलन कर विद्या परिषद् की अगली बैठक में उपरोक्त सभी प्रस्तावों के साथ निर्णयार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 8	:	विश्वविद्यालय परिसर में Activity Center (शिक्षादान महा अनुदान) को Skill Development Cell के अन्तर्गत स्थापित करने का प्रस्ताव विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में Activity Center (शिक्षादान महा अनुदान) को स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। उक्त Center के संचालन हेतु बजट आवंटित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
मद संख्या 9	:	(i) विश्वविद्यालय के विभागों में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग से जारी पत्रों की अनुपालना में विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि व्याख्याताओं के मनोनयन हेतु प्रक्रिया/दिशा–निर्देश (गाइडलाइन), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी रेगुलेशन 2018 में निर्धारित योग्यताओं के आधार पर तैयार किये गये। उक्त गाइड लाइन विद्या परिषद को रिपोर्ट करने हेतु प्रस्तुत है। (ii) उक्त की निरन्तरता में हाल ही राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग से विश्वविद्यालयों में विद्या संबल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य करवाने के लिए गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने के संबंध में दिशा–निर्देश पत्र क्रमांक प. 16(3)शिक्षा–4/2022, दिनांक 28.11.2022 के द्वारा जारी हुए है, जो विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	:	(i) विश्वविद्यालय के विभागों में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग से जारी पत्रों की अनुपालना में विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि व्याख्याताओं के मनोनयन हेतु प्रक्रिया/दिशा–निर्देश (गाइडलाइन), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी रेगुलेशन 2013 में निर्धारित योग्यताओं के आधार पर तैयार किये गये दिशा–निर्देशों की सदन द्वारा पुष्टि की गई। (ii) साथ ही, राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग से विश्वविद्यालयों में विद्या संबल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य करवाने के लिए गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने के संबंध में पत्र क्रमांक प.16(3)शिक्षा–4/2022, दिनांक 28.11.202 : के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 10	:	विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में Diploma Course in entrepreneurship & skill Development and Certificate course in entrepreneurship and skill Development पाठ्यक्रमों को संचालित किए जाने का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में Skill Development Council के माध्यम से सिर्फ Certificate course in Entrepreneurship and Skill Development पाठ्यक्रम को संचालित किए जाने संबंधी प्रस्तावों को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया परन्तु उक्त Certificate course के प्रस्तावों को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, Course content आदि के साथ संशोधित कर अगली विद्या–परिषद् की बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।
मद संख्या 11	:	विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग द्वारा, विभाग में संचालित M.B.A. (Hospital Administration) पाठ्यक्रम में सत्र 2022–23 से 10 सीटों की वृद्धि कर 30 सीटों पर प्रवेश हेतु प्रस्ताव रखा है, उक्त प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	:	विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग में संचालित M.B.A. (Hospital Administration) पाठ्यक्रम में सत्र 2023–24 से 10 सीटों की वृद्धि कर 30 सीटों पर प्रवेश देने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 12	:	सत्र 2022–23 से सभी पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) लागू किया जा चुका है, परन्तु 4 वर्षीय बहु–अनुशासनीय डिग्री (4 year Multidisplinary degree) तथा मल्टीपल एंट्री–एग्जिट (Multiple Entry/Exit) लागू नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	:	विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय बहु–अनुशासनीय डिग्री (4 year Multidisplinary degree) तथा मल्टीपल एंट्री–एग्जिट (Multiple Entry/Exit) लागू करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में एक वर्कशॉप आयोजित किया जाए। उस वर्कशॉप में यू.जी.सी. expert को आमंत्रित कर Multidisplinary degree तथा Multiple Entry/Exit लागू करने संबंधी मार्गदर्शन लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर गठित NEP-Micro task force समिति के माध्यम से स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर अगली विद्या परिषद की बैठक में निर्णयार्थ रखा जावे।
मद संख्या 13	:	विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2023–24 से स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी व अंग्रेजी पाठ्यक्रम संचालन के निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2023–24 से स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी व अंग्रेजी पाठ्यक्रम के संचालन करने का निर्णय किया गया।

मद संख्या 14	:	विद्यार्थियों की फीस लौटाये जाने के क्रम में दिनांक 31.08.2022 तथा 31.12.2022 तक प्रवेश वापस लेने वाले विद्यार्थियों हेतु 500 / 1000 रूपये प्रक्रिया शुल्क काट कर फीस लौटाये जाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी आदेशों का अनुमोदन करना।
निर्णय	:	विद्यार्थियों की फीस लौटाये जाने के क्रम में यू.जी.सी. के पत्र क्रमांक D.O. No. 2-71/2022(CPP-II) Date 2.8.2022 द्वारा जारी किए गए आदेशों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 15	:	**विश्वविद्यालय परिसर व संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में Choice Based Credit System (CBCS) लागू करने की प्रक्रिया के क्रम में लम्बित 4 Credit पाठ्यक्रम प्रारूप संबंधी कार्यवाही विवरण दिनांक 15.12.2022 का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर व संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (नियमित) में Choice Based Credit System (CBCS) लागू करने की प्रक्रिया के क्रम में विश्वविद्यालय की CBCS समिति द्वारा प्रस्तुत 4 Credit पाठ्यक्रम प्रारूप संबंधी कार्यवाही विवरण को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया। स्नातकोत्तर स्तर के स्वयंपाठी विद्यार्थियों पर परीक्षा की वार्षिक पद्धति (Annual Scheme) लागू होगी।
मद सं0 16	:	**अन्य बिन्दु आसन की अनुमति से।** 1. आसन की अनुमति से अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय ने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में पाठ्यक्रम निर्माण समिति, शिक्षा ही बी.एड.–विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। उक्त पाठ्यक्रम में Rehabilitation Council of India (RCI) के दिशा–निर्देशों की पालना करना आवश्यक होता है, के दृष्टिगत पाठ्यक्रम निर्माण समिति, शिक्षा को बी.एड.–विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। अतः विशेष–शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए विश्वविद्यालय में एक पृथक पाठ्यक्रम निर्माण समिति (COC) के गठन किए जाने का प्रस्ताव रखा। सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

		2. आसन की अनुमति से, डॉ. गोपाल सिंह, माननीय सदस्य ने विश्वविद्यालय में संचालित वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग को दो भिन्न भिन्न विभाग– वाणिज्य विभाग (Deptt. of Commerce) व प्रबंधन विभाग (Deptt. of Management) में पृथक करने के प्रस्तावों को सदन में रखा। उनके द्वारा वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत ABST, EAFM व Business Administration के पाठ्यक्रमों के संचालन करने का मत प्रकट किया गया। उक्त प्रस्तावों पर गहन विचार–विमर्श उपरान्त सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन करने की सहमति बनी। परन्तु व्यावहारिक रूप से विश्वविद्यालय में लागू करने (Procedural implementation) के लिए माननीय कुलपति महोदय ने समय लगने की बात से सदन को अवगत कराया, जिसे सदन द्वारा सहज स्वीकार किया गया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

सदस्य सचिव
विद्या–परिषद्